भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 211

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

कर अनुपालन को सरल बनाना

*211. **श्री बंटी विवेक साहूः**
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर अधिनियम (पुरानी व्यवस्था), 1961 के बजाय आयकर अधिनियम, 2025 (नई व्यवस्था) को अपनाने में सहायता करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभियानों के स्वरूप, प्रसार के तरीके और संपर्क किए गए करदाताओं की संख्या सहित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ऐसे करदाताओं और व्यापारियों की संख्या कितनी है;

(ग) नई मौद्रिक सीमाओं के परिणामस्वरूप विवादित मुकदमेबाजी और कर मांगों के बोझ में कमी आने के कारण स्थानीय करदाताओं को कितनी राहत प्राप्त हुई है;

(घ) संशोधित मौद्रिक सीमा के कारण कुल कितनी अपीलें और वापस लिए गए / दायर नहीं किए गए या अन्यथा प्रभावित हुए मामलों की संख्या कितनी है और विवादों में फंसे मुकदमेबाजी के बोझ में कमी आई है और कर मांग में फोरम-वार और कर-वार कितनी कमी आई है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले 12 वर्षों के दौरान करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने और करदाताओं की सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश सहित प्रमुख पहलों, उनके परिणामों और लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क)(ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"कर अनुपालन को सरल बनाना" के संबंध में श्री बंटी विवेक साहू, सांसद और श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, सांसद द्वारा दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *211 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) हां।

(ख) आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान **प्रारंभ 2026** (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई) शुरू किया। इस अभियान में देश भर में करदाता कार्यशालाएं, बहुभाषी जागरूकता सामग्री, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रकाशन कार सेतु - *पुराने और नए कर अधिनियम के बीच का सेतु* MyGov प्लेटफॉर्म पर एक इंटरैक्टिव क्विज, प्रिंट और आउटडोर प्रचार अभियान, और आयकर वेबसाइट 2.0 और एआई-सक्षम चैटबॉट कर साथी जैसी डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना शामिल थे। इसके अलावा इस अभियान का विवरण इस प्रकार है:

(i) शैक्षिक और जागरूकता सामग्री: व्यापक बहुभाषी शैक्षिक सामग्री विकसित और प्रसारित की गई है। नए शुरू किए गए प्रपत्रों और प्रक्रियाओं पर ब्रोशर की एक श्रृंखला तैयार की गई और अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों और आयकर सेवा केंद्रों (एएसके) के माध्यम से ब्रोशर और प्रकाशनों की 1.75 लाख से अधिक प्रतियां वितरित की गई हैं।

(ii) डिजिटल आउटरीच: क्यूआर-सक्षम ब्रोशर के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार का लाभ उठाया गया है, जो डिजिटल व्याख्यात्मक सामग्री और संवाद वीडियो सत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि विभाग ने नए अधिनियम के प्रावधानों को समझने में करदाताओं की सहायता के लिए एआई-सक्षम चैटबॉट "कर साथी" को भी तैनात किया है।

(iii) प्रारंभ 2026 के तहत देश भर में अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कुल 304 भौतिक (फिजिकल) आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में आयोजित लगभग 50,000 करदाताओं और हितधारकों ने भौतिक रूप से आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लिया।

(iv) इस अभियान के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल 31 भौतिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम लगभग 2,500 करदाताओं और हितधारकों तक पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में करदाताओं, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के बीच सीधे बातचीत और सूचना के प्रसार की सुविधा मिली।

(v) इसके अलावा छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस अभियान के हिस्से के रूप में दिनांक 24.07.2026 को भौतिक रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल लगभग 100 करदाताओं और हितधारकों ने भाग लिया।

(ग) सरकार ने सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से विभागीय अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस परिपत्र को जारी करने के कारण आईटीएटी में दो (2) मामलों को वापस ले लिया गया, जिसमें कुल 55 लाख रुपये की विवादित कर मांग की गई थी।

(घ) परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 17.09.2024 द्वारा संशोधित मौद्रिक सीमाओं के कारण वापस लिए गए/दायर नहीं किए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	फ़ोरम	परिपत्र संख्या 9/2024 जारी होने के कारण वापस लिए गए मामलों की संख्या	परिपत्र संख्या 9/2024 जारी होने के बाद मौद्रिक सीमा में वृद्धि के कारण दायर नहीं की गई अपीलों की संख्या	विवादित कर मांग में कुल अनुमानित कमी (करोड़ में)
1.	आईटीएटी	443	11,390	3662.82
2.	उच्च न्यायालय	4791	5,565	9,218.71
3.	उच्चतम न्यायालय	744	534	3,807.15

(ङ) (i) सीबीडीटी ने पिछले 12 वर्षों में कर अनुपालन को आसान बनाने और करदाता सेवाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। ये उपाय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले सहित पूरे देश में समान रूप से लागू हैं।

(ii) पिछले 12 वर्षों के दौरान की गई कुछ प्रमुख पहलों में, पहले से भरे हुए आईटीआर शुरू करना; नए फॉर्म 26एएस; अद्यतन विवरणी दाखिल करने की सुविधा; फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील योजनाएं शुरू करना; कम या शून्य दर पर आयकर की कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र जारी करना; अनिवासी द्वारा निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को अचल संपत्ति की बिक्री पर अनुपालन में कमी करना; आय विवरणी दाखिल न करने वालों के लिए अपेक्षाकृत उच्च टीडीएस/टीसीएस को हटाना; बहु-वर्षीय आर्म लेंथ मूल्य निर्धारण करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना; संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) करने वाले व्यक्ति की संबद्ध इकाई को सुविधा; सेफ हार्बर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना और सरलीकरण करना तथा प्रकल्पित कराधान योजना का विस्तार शामिल हैं।

(iii) इन उपायों ने कर अनुपालन को काफी सरल बनाया है, अनुपालन भार को कम किया है, पारदर्शिता में वृद्धि की है, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा दिया है और करदाता सेवाओं में सुधार किया है।
